

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक :- म्या. (रा.न्या.मं.)मं.प.अ. / 99 / 2021

दिनांक 09.07.2021

श्रीमती वृजमाधुरी शर्मा (RJ0362), विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / अनुमूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली को दिनांक 19.07.2021 से 27.08.2021 तक 40 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 18.07.2021 एवं 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को श्रीमती वृजमाधुरी शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / अनुमूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निरन्तरण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये।
2. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / अनुमूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाता आवश्यक है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.07.2021

क्रमांक :- म्या.जी.२(4)/68/2000/ 4707

दिनांक 09.07.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 1634 दिनांक 11.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती वृजमाधुरी शर्मा (RJ0362), विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / अनुमूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / अनुमूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), पाली।
5. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस (म्या.) शाखा राज.न्या., जोधपुर।


09.07.2021
सहायक रजिस्ट्रार